आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17/10/2014	(नीचे देखें)	

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -13/2006-07

सेवकी कोल एवं अन्य **बनाम** छवि कोलीन एवं 16 आना रैयत।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Mutation Case No-167/1999-2000 में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा का Mutation Case No-167/1999-2000 में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश द्वारा मौजा-फुटाहा खाता सं0-53 दाग सं0-1609, 1636, 1645,1597,1598 एवं 1637 रकवा-05.37 एकड़ जमीन छवि कोलीन पिता- स्व0 हिरू कोल ग्राम-फुटाहा के नाम से नामातंरण की स्वीकृति दिया गया है।

अपीलकर्त्ता सेवकी कोल पति-स्व0 साधु कोल मौजा-फुटाहा, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा के जमाबंदी रैयत है। गत सर्वे खतियान में मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 खतियानी रैयत सुकु कोल के नाम से दर्ज है। अपील आवेदन में दिये गये वंशावली से स्पष्ट है कि मौजा-फुटाहा स्व0 साधु कोल खतियानी रैयत सुकु कोल का पोत्र एवं जमीन पर उनका आधा हिस्सा है। उत्तरवादी छवि कोलीन भी सुकु कोल के वंशज है लेकिन खतियानी रैयत सुकु कोल के जमीन का हड़पने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा का Mutation Case No-167/1999-2000 द्वारा नामातंरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा का Mutation Case No-167/1999-2000 में 28.12.1999 को दायर होने के लंबी अवधि के पश्चात् वर्ष 2006 तक वाद की कार्यवाही नहीं की गयी। वर्ष 2006 को दिनांक-18.08.2006 को सीधे आदेश पर रखा गया। अपीलकर्त्ता साधु कोल द्वारा दिनांक-18.08.2006 को आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय में कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की गयी लेकिन कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं दिया गया और आदेश पारित कर दिया गया।

उत्तरवादी छवि कोलीन पिता-हिरू कोल के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि गत सर्वे खतियान में मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 खतियानी रैयत सुकु कोल पिता-स्व0 पहलु कोल के नाम से दर्ज है। छवि कोलीन के पिता- स्व0 हिरू कोल खतियानी रैयत स्व0 सुकु कोल के पुत्र थे। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-13/1970-71 छवि कोलीन बनाम इस्मादली लतीफ मियाँ एवं अन्य में दिनांक-16.09.1983 को पारित आदेश के द्वारा प्रश्नगत दाग सं0 के जमीन वापस पाया। उक्त आदेश दिनांक-16.09.1983 को पारित आदेश विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय दुमका के R.M.A. Case No-181/1983-84 में अपील दायर किया गया जिसमें दिनांक-03.08.1987 को पारित आदेश के द्वारा अपील आवेदन खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के आदेश को सम्पुष्ट किया गया। तत्पश्चात छवि कोलीन पिता-स्व0 हिरू कोल ग्राम-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल खाता सं0-53 दाग सं0-1609,1636,1645,1597,1598,1637 के कुल रकवा-05.37 एकड़ भूमि की नामातंरण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में Mutation Case No-167/1999-2000 के द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत करते हुए तामिला प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी नारायणपुर के पत्रांक-184/रा0, दिनांक-25.07.2000 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें अंकित है कि "उपायुक्त महोदय दुमका में अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के R.E. Case No-13/1970-71 में दिनांक-16.09.1983 के प्रत्येक पहलुओं को परि निरीक्षण करने बाद दिनांक-03.08.1987 को अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।" तत्पश्चात् आवेदिका छवि कोलीन के द्वारा आवेदन में दर्शाये गये प्रश्नगत दाग के जमीन का दाखिल खारिज की स्वीकृति की अनुशंसा अंचल अधिकारी नारायणपुर द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन में किया गया। मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 में कुल 14 दाग एवं कुल रकवा-15.20 एकड़ है। जिसमें से मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 के 06 दाग सं0-1609,1636,1645,1597,1598,1637 के कुल रकवा-05.37 एकड़ भूमि पर छवि कोलीन पिता हिरू कोल के नाम से नामातंरित है एवं खाता सं0-53 के शेष 08 दाग

कुल रकवा-09.83 एकड़ भूमि सुकु कोल से प्राप्त नहीं किया गया है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया। मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 खतियानी रैयत सुकु कोल पिता-स्व0 पहलु कोल के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के R.E. Case No-13/1970-71 छवि कोलीन बनाम इस्मादली लतीफ मियाँ एवं अन्य में दिनांक-16.09.1983 को पारित आदेश के द्वारा प्रश्नगत दाग सं0 के जमीन छवि कोलीन वापस पाया। उक्त दिनांक-16.09.1983 को पारित आदेश विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय दुमका के R.M.A. Case No-181/1983-84 में अपील दायर किया गया जिसमें दिनांक-03.08.1987 को पारित आदेश के द्वारा अपील आवेदन खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के आदेश को सम्पुष्ट किया गया। तत्पश्चात छवि कोलीन पिता-स्व0 हिरू कोल ग्राम-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल खाता सं0-53 दाग सं0-1609,1636,1645,1597,1598,1637 के कुल रकवा-05.37 एकड़ भूमि की नामातंरण अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Mutation Case No-167/1999-2000 में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश के द्वारा प्राप्त हुआ। निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश में अंकित है कि खतियानी रैयत सुकु कोल के दो जीवित वंशज साधु कोल एवं छवि कोलीन है। मौजा-फुटाहा, सरदारी सार्किल-दक्षिणबहाल जमाबंदी सं0-53 खतियानी रैयत सुकु कोल पिता-स्व0 पहलु कोल के खतियान में अंकित सभी दागों को उनके उत्तराधिकारी को स्पष्ट बँट्वारा नहीं होने के कारण प्रश्नगत जमीन का नामांतरण में उभयपक्ष का सहमति नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Mutation Case No-167/1999-2000 में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Mutation Case No-167/1999-2000 में दिनांक-18.08.2006 को पारित आदेश को खारिज किया जाता है। यदि उभयपक्षों में सहमति नहीं बनती है तो व्यवहार न्यायालय में शरण लेने के लिए स्वतंत्र है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

17-10-2023

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.11.01 10:53:51 +05:30
Location: 192.168.43.106